- इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धन वरिष्ठों जिनके पास स्वयं के भरण –पोषण का साधन नहीं है उनके लिए राज्य शासन द्वारा वृद्धाश्रमों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा, देख– रेख के लिए भी उपबंध किये गये हैं जिसमें जराचिकित्सा के रोगियों के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल में निर्दिष्ट सुविधायें निःशुल्क प्रदान किये जाने का उपबंध किया गया है। अधिनियम में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और उनकी संपत्ति की संरक्षा में भी उपबंध किये गये हैं।

- कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अंतर्गत अथवा इस अधिनियम के अधीन भरण–पोषण का दावा कर सकता है किन्तु दोनों के अधीन नहीं कर सकता।
- अधिकरण द्वारा आदेश सुनाये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर आदेशित संपूर्ण रकम जमा करना अनिवार्य है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण आवेदन की सुनवाई करने के पूर्व उसे सुलह अधिकारी को भेजेगा जो एक माह के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा ।
- भरण–पोषण आदेश के प्रत्येक भंग के लिए 1 मास तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है परंतु रकम बकाया होने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर वसूली हेतु आवेदन देना आवश्यक है

सेवा करने वाले हाथ मंत्र बोलने वाले होंठो से अधिक पवित्र होते है – अज्ञात

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें –

- **उच्च न्यायालय स्तर पर –**
  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
- **जिला स्तर पर –**
  जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
- **तहसील स्तर पर –**
  दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
- **सदस्य सचिव –**
  म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

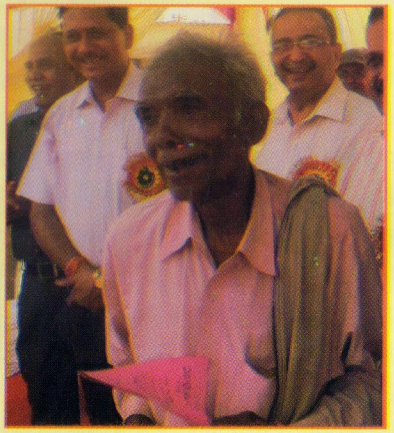

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सी–2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर द्वारा विज्ञापित

राष्ट्रीय निःशुल्क विधिक हेल्पलाईन : 15100

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

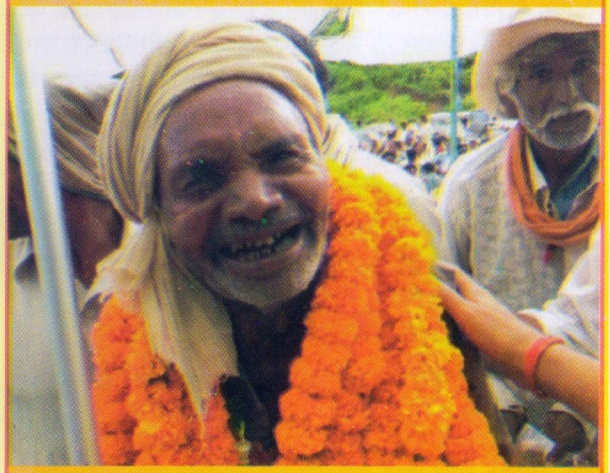

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सी–2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाषः (0761) 2678352, 2624131
फैक्स : 2678537
ई–मेल : mplsajab@nic.in
वेबसाइट : www.mpslsa.nic.in

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

एक परिचय

वर्तमान भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था कमजोर पड़ गई है जिस कारण बड़ी संख्या में वरिष्ठ व्यक्तियों की देखभाल उनके परिवारों द्वारा नहीं की जा रही है। परिणामत: अनेक व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम वर्षों को अकेलेपन में बिताने के लिए विवश हैं तथा भावनात्मक रूप से उपेक्षित कर दी गई है और भौतिक और वित्तीय संसाधनों से भी अभावग्रस्त हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वृद्धावस्था एक प्रमुख सामाजिक चुनौती बन चुकी है और वरिष्ठ व्यक्तियों की देख-भाल एवं सुरक्षा हेतु और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी भरण-पोषण हेतु प्रावधान है परंतु शीघ्र भरण-पोषण प्राप्त करने हेतु सरल एवं किफायती व्यवस्था के लिए इस अधिनियम का उपबंध किया गया है।

भरण-पोषण कौन प्राप्त कर सकता है:-

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार :-

- कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके अंतर्गत माता-पिता है जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन सम्पत्ति में से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
- माता-पिता या पितामह-पितामही

नोट: वरिष्ठ नागरिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या अधिक आयु प्राप्त कर लिया है।

किसके विरूद्ध आवेदन किया जा सकता है:-

- माता-पिता या पितामह-पितामही की दशा में अपने एक या अधिक बालकों (पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री) जो अवयस्क नहीं है।
- किसी नि:संतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में उसके ऐसे विधिक वारिसों के विरूद्ध जो अवयस्क नहीं हैं तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या जो विरासत में प्राप्त करेगा।

किसके द्वारा आवेदन दिया जा सकता है:-

यथा स्थिति किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता-पिता द्वारा

- यदि वह अशक्त है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा।
- अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है।

आवेदन किसके समक्ष पेश किया जायेगा

भरण-पोषण हेतु कोई आवेदन धारा-7 के अंतर्गत गठित भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02 जुलाई 2009 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में भरण-पोषण अधिकरण एवं अपील अधिकरण का गठन कर दिया गया है तथा सामाजिक न्याय विभाग के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भरण-पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित कर दिया गया है जो यथास्थिति अधिकरण या अपील अधिकरण की कार्यवाही में वांछा किये जाने पर माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक का प्रतिनिधित्व करेगा।

कार्यवाही कहां शुरू की जा सकती है:-

बालकों या नातेदारों के विरूद्ध किसी जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकती है-

- जहां वह निवास करता है या उसने अंतिम बार निवास किया है।
- जहां बालक या नातेदार निवास करता है।

भरण-पोषण राशि की अधिकतम मात्रा:-

अधिकरण द्वारा अधिकतम 10000/- रूपये में प्रतिमास के भरण-पोषण भत्ता का आदेश दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के दौरान अंतरिम भरण-पोषण भत्ता दिलाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच साधारण ब्याज भी दिलाया जा सकता है। परिस्थितियों में परिवर्तन पर उपरोक्त भत्तों में परिवर्तन किया जा सकता है।

आदेश करने की समय-सीमा:-

अधिकरण द्वारा बालक या नातेदार को सूचना की तामील की तारीख से 90 दिन के भीतर आदेश किया जायेगा। किन्तु अपवादित परिस्थितियों में उक्त अवधि को, लेखबद्ध कारणों से हुए एक बार में 30 दिन की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है। अपील अधिकरण यथासंभव अपील प्राप्ति के 01 मास के भीतर आदेश करेगा। अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा।

- अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में अधिवक्ताओं को वर्जित किया गया है।
- इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी मामले में सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी न ही उसके संबंध में कोई व्यादेश दिया जायेगा।

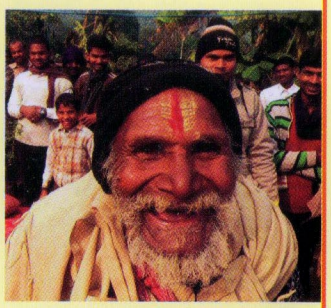

- जो कोई, जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देख-रेख व सुरक्षा है, उसे पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा उसे 03 मास तक के कारावास या 5000/- रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय व जमानतीय नहीं होगा तथा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा।